जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

पत्रांक..1139

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा जिला।
अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् मधेपुरा/मुरलीगंज नगर पंचायत।

मधेपुरा,दिनांक 1/7/ 2014 ई0।

विषय :– सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त पुनः दावा/आपत्ति लेने के संबंध में।

प्रसंग :– ग्रा0वि0वि0 पटना के पत्रांक 189710,दिनांक 26.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में आप अवगत है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के प्रारुप का प्रकाशन किया गया था। तदुपरान्त इच्छित परिवारों से दावा/आपत्ति आवेदन दायर करने हेतु जिले द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई थी। उसी समय सीमा के अन्दर लगभग 61348 आवेदन यथार्थ में इस जिले को प्राप्त हुआ था। जिसका COTS Module में इन्ट्री एवं निष्पादन भी पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु इनका अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया हैं। इसी अवधि में ड्राफ्ट सूची के आधार पर ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड की छापाई की गई थी तत्पश्चात उसका वितरण किया गया था । लेकिन सामाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना एवं जिला एवं प्रखंडों में प्राप्त आवेदनों से प्रतीत होता है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पात्र परिवार छुट गये है जो राशन कार्ड के दायरे में आते है। इसी छुटे हुए लोगों से पुनः आवेदन लेने हेतु(अलगे आदेश तक) ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 189710,दिनांक 26.06.2014 के द्वारा निदेशित किया गया है। जिसके आलोक में प्रखंड/शहरी स्तर निम्न कार्य अपेक्षित है :–

1. प्रखंड/शहरी स्तर पर पुनः आवेदन प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
2. प्रखंड/शहरी स्तर पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु कम से कम एक कॉन्टर की व्यावस्था करना एवं PLO के माध्यम से आवेदन प्राप्ति का कार्य करना।
3. सभी प्राप्त दावा आपत्ति आवेदनों की जाँच पंचायत स्थरीय पदाधिकारियों (PLO) द्वारा करवाने की व्यावस्था सुनिश्चित करना।

4. आवेदन प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र A,B एवं C जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे प्रखंडों/शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क वितरित कि जाएगी।
5. आवेदन प्राप्ति से लेकर निष्पादन तक की सारी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– चार्ज पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।
6. अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज अपने–अपने अनुमंडल क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रखंडों की वरीय प्रभार में रहेंगें।

विश्वासभाजन

20/

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक...1139.../मधेपुरा,दिनांक...11/7/....2014 ई0/

प्रतिलिपिः श्री राकेश कुमार वरीय उपसमाहर्त्ता –सह– नोडल पदाधिकारी SECC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे जिले के बेवसाईट पर प्रकाशित एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इन्हें स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए प्रेषित।

प्रतिलिपिः उपविकास आयुक्त,मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः एम0एस0मुर्थी राज्य समन्वयक ECIL ,SECC बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि दावा आपत्ति आवेदनों की इन्ट्री एवं निष्पादन हेतु तकनीकी बल एवं ऑपरेटरों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें।

11/07/14

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

Lallu/Hindi latter/450

(20)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 189710 पटना, दिनांक 26.6.14

ग्रा0वि0-5/सा0आ0ज0(प्रारूप प्रका0)-103-09/2013

प्रेषक,

एस.एम.राजू,

सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी ।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत पुनः दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में ।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के अंतर्गत दावा आपत्ति चरण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस बीच कई जिलों से सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि दावा/आपत्ति दर्ज कराने के लिए जिलों द्वारा निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात भी बहुत सारे व्यक्तियों/परिवारों द्वारा दावा/आपत्ति दर्ज नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण आमजनों में असंतोष व्याप्त है ।

विदित हो कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तत्काल इसके आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों का चयन किया गया है और भविष्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार SECC सूची ही होगी ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है कि जो व्यक्ति/परिवार किसी कारणवश जिलों द्वारा दावा/आपत्ति चरण हेतु निर्धारित समयसीमा के अंदर अपना दावा/आपत्ति आवेदन नहीं दे सके हैं, उनसे भी प्रखंड स्तर पर दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाये । इस कार्यक्रम का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय जिससे कि SECC सूची में छुटे सभी व्यक्ति/परिवार अपना दावा/आपत्ति आवेदन विहित प्रपत्र में जमा करा सके। विहित प्रपत्र में भली भॉति भरे हुए आवेदन प्रखंड कार्यालय में प्राप्त करने हेतु अलग से एक काउन्टर की व्यवस्था की जाये । आवेदन प्राप्ति के बाद उसका पावती रसीद आवेदक को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। इसमें विशेष रूप से यह भी प्रचार- प्रसार करने की आवश्यकता है कि

जिन व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में दावा/आपत्ति आवेदन दिया जा चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं है । विहित प्रपत्र 'A.'B' एवं 'C' की उपलब्धता नि:शुल्क वितरण हेतु सभी प्रखंड कार्यालयों में सुनिश्चित किया जाये । SECC से संबंधित आवेदन लेने का कार्य अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके साथ ही SECC की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक-31.07.2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरान्त भी SECC के तहत दावे/आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई चलती रहेगी, इसे भी सुनिश्चित किया जाये ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि पुन: प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदनों की ऑफलाईन प्रविष्टि करा ली जाय । तत्पश्चात पंचायत स्तरीय पदाधिकारी (PLO) द्वारा इन आवेदनों की जॉच करायी जाये ताकि उसके आलोक में परिमार्जित एवं सही SECC सूची के निर्माण की प्रक्रिया जारी रहे ।

अत: अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस.एम.राजू)
सचिव 26.6.14

ज्ञापांक 18710 बिहार, पटना 26-6-14

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
26.6.14